लोक अदालत 2024

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगला जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी– ईश्वर लाल खटीक , आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 02 / 2024
जीसीएमएस न0 2024 / 01

1. दिनेश पिता भवानी शंकर जी शर्मा निवासी–मोरवन तह0 डूंगला।

....................प्रार्थी

।। बनाम ।।

1. श्री मांगु पिता कन्ना जी अहीर उम्र वयस्क निवासी मोरवन तहसील डूंगला
2. श्रीमती गमेरी पिता कना अहीर उम्र वयस्क निवासी मोरवन तहसील डूंगला
3. श्रीमती जमनी पिता कना अहीर उम्र वयस्क निवासी मोरवन तहसील डूंगला
4. श्री नन्दलाल पिता गोवर्धनलाल अहीर उम्र वयस्क निवासी मोरवन तहसील डूंगला
5. श्रीमती फूली पत्नि कना अहीर उम्र वयस्क निवासी मोरवन तहसील डूंगला
6. त्हसीलदार डूंगला तहसील डूंगला

............विपक्षीगण

निर्णय दिनांक 13 / 07 / 2024

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर.टी.ए.

उपस्थित– श्री महेन्द्र सिंह चुण्डावत अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से

हस्तगत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 'के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की खतौनी संख्या 8 की आराजी संख्या 1060 ग्राम गाडरीयावास पटवार हल्का मोरवन में स्थित होकर प्रार्थी के सयुक्त खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी को कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी पर आवामगन का रास्ता ग्राम गाडरीयावास की विपक्षीगण की खातेदारी आराजी नंबर 1063 के दक्षिण पुर्वी कोने से अपनी खातेदारी आराजी नंबर 1060 में आता जाता है उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग सदियो से चले आ रहे है। परन्तु उक्त [illegible] राजस्व रेकार्ड में अंकन नही होने की वजह से विपक्षीगण प्रार्थी से [illegible] विवाद करते रहते हैं लडाई झगडा भी करते रहते है। इस पर प्रकरण बाद जॉच दर्ज रजिस्टर [illegible] विपक्षीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया ।विपक्षीगण की ओर [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2024.08.07 13:37:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

दिलीप कुमार खटीक अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 उपस्थिति दी गई जवाब हेतु अवसर चाहा गया परन्तु बावजूद सूचना के विपक्षीगण एवं इनके अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व कार्यवाही एक पक्षीय किये जाने का आदेश पारित किया गया तथा पत्रावली दिनांक 13/07/2024 को लोक अदालत में निस्तारण हेतु रखी गई। तहसीलदार डूंगला से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार विपक्षी की खातेदारी आराजी नंबर 1063 रकबा 0.3040 हैक्टेयर भूमि में सें 0.0024 हैक्टेयर में सें 24 वर्ग मीटर भूमि जिसकी चौड़ाई 4 मीटर में नवीन मार्ग रास्ता रेकार्ड में दर्ज करने हेतु प्रस्तावित कर प्रसतावित क्षेत्रफल की डीएलसी दर दोगुनी राशि 2686/– दो हजार छः सौ रूपये मात्र प्रार्थी द्वारा जरीये रसीद नंबर 0000053 दिनांक 10.07.2024 को तहसील कार्यालय डूंगला में विपक्षीगण को चुकाने हेतु जमा कराई जा चुकी है जिसको आप रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि का हिस्से अनुसार विपक्षीगण को मुआवजा राशि का नियमानुसार भुगतान करें।। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251 (ए) के तहत सही पाये जाने से स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थी को अपनी खातेदारी आराजी नंबर 1060 पर आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नही है इसलिए विपक्षीगण की आराजी संख्या 1063 रकबा 0.3040 हैक्टेयर में से 0.0024 हैक्टेयर (4 मीटर चौड़ाई में) प्रस्तावित रिपोर्ट नक्शा ट्रेस के अनुसार प्रार्थी को आराजी नम्बर 1060 में आने–जाने हेतु हल, बैल, बैलगाड़ी लाने ले जाने हेतु विपक्षीगण की आराजी संख्या 1063 के पूर्वी भूजा पर 6 मीटर एवं दक्षिण भूजा पर कोने से 8 मीटर कुल 0.0024 हेक्टेयर किस्म रास्ता राजस्व रेकार्ड में नियमानुसार अकंन किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार डूॅंगला को भिजाई जावे

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2024.08.07 13:37:26 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार डूंगला को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला

Scanned with OKEN Scanner